कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली।

पत्रांक :– 580 /14–1(FP/UP/Others/ 121963/2021) शामली दिनांक, 23-10-2021।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सहारनपुर वृत्त सहारनपुर।

विषय– **जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चौक शामली से थानाभवन तिराहा,(कि0मी0 चैनेज 98.545 से 118.345) कुल लम्बाई–19.500 में 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाईप डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में। (प्रस्ताव संख्या FP/UP/Others/ 121963/2021) के संबंध में ।**

संदर्भः– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन का पत्राक–पी0–113/81–2–2021–800 (97) /2021 दिनांक–14.07.2021 एवं मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली का पत्रांक–82 दिनांक 18.09.2021

महोदय,

जनपद शामली में मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चौक शामली से थानाभवन तिराहा (किमी0 चैनेज 98.845 से 118.345) कुल लम्बाई 19.500 में 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाईप डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ का पत्रांक–पी0–113/81– 2–2021–800 (97) /2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है, जिसके कम में मै इन्द्र प्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली का पत्रांक 82 दिनांक 18.09.2021 द्वारा अनुपालन आख्याऐं एवं वचनबद्धताऐं निम्नानुसार प्रेषित की गयी है–

उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ का पत्रांक–पी0–113/81–2–2021–800 (97) /2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा लगायी गयी शर्ते एवं अनुपालन आख्याऐं–

क0सं0	शर्त	अनुपालन आख्या
1	सम्बन्धित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि आलोच्य परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा। **(संलग्नक–1)**
2	सी0एन0जी0/पी0एन0पी0 पाईप लाईन/मार्गो/सडकों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–किनारे ही बिछाये जायेंगें।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि आजोच्य परियोजना में सी0एन0जी0/पी0एन0पी0 पाईप लाईन मार्गो/सडकों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–किनारे ही बिछायी जायेगी।**(संलग्नक–2)**
3	सी0एन0जी/पी0एन0पी0 पाईप लाईन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर ओर चौडाई 1.00 मीटर से अधिक नही होगी।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि आजोच्य परियोजना में सी0एन0जी0/पी0एन0पी0 पाईप लाईन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर ओर चौडाई 1.00 मीटर से अधिक नही होगी।**(संलग्नक–3)**
4	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च कोइस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि आलोच्य परियोजना में खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो।**(संलग्नक–4)**
5	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि आलोच्य परियोजना में स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। **(संलग्नक–5)**
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वचनबद्धता दी गयी है।**(संलग्नक–6)**
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि आलोच्य परियोजना में अनुरक्षण का सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।**(संलग्नक–7)**
8	भूमि का सरफेस राइटस नही दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि आलोच्य परियोजना में भूमि का सरफेस राइटस नही दिया

	नही होगा। अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत वना रहेगा।	जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा। अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत वना रहेगा।**(संलग्नक–8)**
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	शर्त के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि 6,10350.00 कैम्पा निधि में जमा की गयी है। वचनबद्धता प्रमाण एवं ई–रसीद की प्रति संलग्न है।**(संलग्नक–9)**
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी परियोजना में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी वाले विभाग की अनापत्ति प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्राप्त की जायेगी।**(संलग्नक–10)**
11	प्रयोक्ता एजेंसी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का समक्ष स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि आलोच्य परियोजना में कार्य करने हेतु मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली के पास समक्ष स्तर से प्राप्त वैध व अधिकृत लाईसेंस है।**(संलग्नक–11)**
12	भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007 एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या–11013/41/2006–IA-II(i) दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने यदि लागू है तो (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समक्ष स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी आफ नेशनल बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि आलोच्य परियोजना से सम्बन्धित स्थल की दूरी वन्य जीव विहार क्षेत्र से 25 किमी0 की दूरी पर अवस्थित होने के कारण, प्रस्ताव में NBWL की अनापत्ति की आवश्यकता नही है।**(संलग्नक–12)**
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्ताविक वन भूमि में कोई भी दावा लंबित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते है।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि आलोच्य परियोजना हेतु जिलाधिकारी शामली द्वारा FRA के अन्तर्गत प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है। वचनबद्धता प्रमाण पत्र एवं FRA प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।**(संलग्नक–13)**
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–FC दिनांक 08.07.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाईल में दर्शाया गया हों।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि आलोच्य परियोजना प्रस्ताव में राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाईल में दर्शाया गया है।**(संलग्नक–14)**
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि आलोच्य परियोजना में सेन्चुरी/नेशनल पार्क सम्मिलित नही है।**(संलग्नक–15)**
16	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि आलोच्य परियोजना में मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।**(संलग्नक–16)**
17	परियोजना में 12 इंच डाया गैस पाइप लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि आलोच्य परियोजना में 12 डाया गैस पाईपलाईन बिछाया जाना

	द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।	प्रस्तावित है तथा कैम्पा फण्ड में एन0पी0वी0 का भुगतान कर दिया गया है।**(संलग्नक–17)**
18	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011(प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाईप लाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रारि है:– (1) सी0एन0जी0/गैस पाईप लाईन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाईप लाईन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अर्तशहरीय शहर से ग्रामीण अतंर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है उस कंम्पनी से पूर्व की भंति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि0मी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी। (2) ऐसी कंम्पनियां जो लगातार गैस पाईप लाईन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाईप लाईन बिछाती है अर्थात जिसका दायरा एक शहर होता है उस कम्पनी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यता दुगने अवनत वन या समतुल्य गैर वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्षो तक के रखरखाव के लिये राज्य सरकार द्वारा शासनादेश में भारत सरकार की शर्तो के अतिाक्ति नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 में अंकित 02 बिन्दुओं जिसमें प्रस्तावित गैस पाईप लाईन से आच्छादित बिन्दु संख्या–1 के अनुपालन में मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा गाजियाबाद वन प्रभाग में 20 कि0मी0 तीन लाईनों में वृक्षारोपण पूर्व में किया जा चुका है, उक्त किये गये कार्य/वृक्षारोपण के संबंध में अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न है।**(संलग्नक–18)**
19	प्रश्नगत प्रस्ताव में वृक्ष पातन निहित नही है। अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए समय समय पर मानटरिंग सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता संलग्न है।**(संलग्नक–19)**
20	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा वचनबद्धता दी गयी हैकि उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा किया जायेगा।**(संलग्नक–20)**

(विभिन्न मदो से सम्बन्धित धनराशि जमा कराये जाने सम्बन्धी सूचना प्रपत्र)

क0सं0	मद का नाम	धनराशि (रू0 में)
1	C.A Amount as per proposal	0
2	C.A Amount deposite	0
3	Difference in amount	0
4	Reson for difference	N.A
5	NPV Amount as per proposal	Rs. 610350.00
6	NPV Amount deposite	Rs. 610350.00
7	Difference in amount	0
8	Reson for difference	N.A
9	Any other amount depodited (complete details be provided)	Nill

अतः उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र दिनांक 14.07.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक अनुमति के शर्तो की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों के 4 प्रतियों में उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली

igl

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL, BPCL & Govt. of NCT Delhi)

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

विषयः— प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चोक शामली से थानाभवन तिराहा, (कि0मी0 चैनेंज 98.845 से 118.345) कुल लम्बाई 19.500 में 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की परियोजना के संबंध में ऑनलाईन प्रस्ताव– FP/UP/ Others /121963 2021

संदर्भः— उत्तर प्रदेश शासन,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–पी–113/81–2–2021–800(97)/2021दिनांक–14.07.2021एवं आपका पत्रांक–418/14–1 दिनांक–09.08.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव जिसमें जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चोक शामली से थानाभवन तिराहा, (कि0मी0 चैनेंज 98.845 से 118.345) कुल लम्बाई 19.500 में 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के प्रस्ताव संबंध में उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–पी– 113/81–2–2021–800(97)/2021 दिनांक–14.07.2021 एवं आपका पत्रांक--418/14–1 दिनांक– 23.07.2021 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–01 से 19 तक की अनुपालन आख्या (05 प्रतियां) इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर नियमानुसार उक्त अनुपालन आख्याऐं उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

20/09/2021
(सोमिल गर्ग)
एडिशनल जनरल मेनेजर
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9. New Delhi-110022

संलग्नक–1

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/121963/Others/ 2021 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–पी–113 / 81–2–2021–800(97) / 2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या–1

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चौक शामली से मुजफ्फरनगर तिराहा थानाभवन तक कि0मी0 चैनेंज 98.845 से 118.345 तक कुल लम्बाई–19.500 कि0मी0 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाईप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वनबद्धता दी जाती है।

20/09/2021

(सोमिल गर्ग)
एडिशनल जनरल मेनेजर
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9. New Delhi-110022

06-10-21
(डा. विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

संलग्नक–2

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/121963/Others/ 2021 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–पी–113/81–2–2021–800(97)/2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या–2

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चौक शामली से मुजफ्फरनगर तिराहा थानाभवन तक कि0मी0 चैनेंज 98.845 से 118.345 तक कुल लम्बाई–19.500 कि0मी0 12" डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाईप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में सी0एन0जी0 / पी0एन0जी0 पाईप लाईन मार्गो / सडकों /वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे –किनारे ही बिछायी जायेगी, इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी जाती है ।

20/09/2021
(सोमिल गर्ग)
एडिशनल जनरल मेनेजर
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9. New Delhi-110022

06-10-21
(डा. विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

संलग्नक–3

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/ 121963/2021 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–पी–113/81–2–2021–800(97)/2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या–3

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चोक शामली से थानाभवन तिराहा, (कि0मी0 चैनेंज 98.845 से 118.345) कुल लम्बाई 19.500 में 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की परियोजना में सी0एन0जी0 / पी0एन0जी0 पाईपलाईन हेतु खोदी गयी ट्रेंच की साईज की गहराई 2.00 मी0 चौडाई 1.00 मी0 से अधिक नहीं होगी, इस हेतु इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली वचनबद्ध है।

20/09/2021

(सोमिल गर्ग)
एडिशनल जनरल मेनेजर
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9. New Delhi-110022

06-10-21
(डा. विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

संलग्नक–4

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/ 121963/2021 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–पी–113/81–2–2021–800(97)/2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या–4

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चोक शामली से थानाभवन तिराहा, (कि0मी0 चैनेंज 98.845 से 118.345) कुल लम्बाई 19.500 में 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की परियोजना में प्रस्ताव में खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भरा जायेगा कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो, इस हेतु इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली वचनबद्ध है।

20/09/2021
(सोमिल गर्ग)
एडिशनल जनरल मेनेजर
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9, New Delhi-110022

05-10-21
(डा० विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

संलग्नक–5

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/ 121963/2021 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–पी–113/81–2–2021–800(97)/2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या–5

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चोक शामली से थानाभवन तिराहा, (कि0मी0 चैनेंज 98.845 से 118.345) कुल लम्बाई 19.500 में 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की परियोजना में मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी, इस हेतु इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली वचनबद्ध है।

20/09/2021
(सोमिल गर्ग)
एडिशनल जनरल मेनेजर
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9. New Delhi-110022

06-10-21
(डा. विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

संलग्नक–6

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/ 121963/2021 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–पी–113/81–2–2021–800(97)/2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या–6

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चोक शामली से थानाभवन तिराहा, (कि0मी0 चैनेंज 98.845 से 118.345) कुल लम्बाई 19.500 में 12" डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की परियोजना में वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनो एवं पर्यावरण मे होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में सहमति दी जाती है कि यदि वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के **पत्र संख्या–पी–113/81–2–2021–800(97)/2021 दिनांक–14.07.2021** द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो के अतिरिक्त कोई शर्त लगायी जाती है कि या प्रतिपूर्ति की मांग की जाती है तो उसे पूर्ण करने के लिए इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली वचनबद्ध है।

20/09/2021
(सोमिल गर्ग)
एडिशनल जनरल मेनेजर
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9. New Delhi-110022

06-10-21
(डा. विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

संलग्नक–7

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/ 121963/2021 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–पी–113/81–2–2021–800(97)/2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या–7

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चोक शामली से थानाभवन तिराहा, (कि0मी0 चैनेंज 98.845 से 118.345) कुल लम्बाई 19.500 में 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की परियोजना में अनुरक्षण कार्य की आवश्यकता होने पर मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली अनुरक्षण का कार्य सम्पादन करने से पूर्व वन विभाग से अनुमति लेगा इस हेतु इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली वचनबद्ध है।

20/09/2021
(सोमिल गर्ग)
एडिशनल जनरल मेनेजर
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली
SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9. New Delhi-110022

06-10-21
(डा० विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

संलग्नक–8

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/121963/Others/ 2021 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–पी–113/81–2–2021–800(97)/2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या–8

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चौक शामली से मुजफ्फरनगर तिराहा थानाभवन तक कि0मी0 चैनेंज 98.845 से 118.345 तक कुल लम्बाई–19.500 कि0मी0 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाईप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी परियोजना में भूमि का सरफेस राईटस (Surface Right) प्रयोक्ता एजेन्सी का नहीं होगा एवं न ही भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन किया जायेगा। भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।

20/09/2021
(सोमिल गर्ग)
एडिशनल जनरल मेनेजर
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9. New Delhi-110022

06-10-21
(डा. विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

संलग्नक–9

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/ 121963/2021 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–पी–113/81–2–2021–800(97)/2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या–9

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चोक शामली से थानाभवन तिराहा, (कि0मी0 चैनेंज 98.845 से 118.345) कुल लम्बाई 19.500 में 12" डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की परियोजना में मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक–05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority), शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 के क्रम में नियमानुसार कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गयी है(परियोजना 1.0 है0 से कम होने के कारण केवल एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कराया जाना अपेक्षित है), चालान की छाया प्रति संलग्न है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

20/09/2021

(सोमिल गर्ग)
एडिशनल जनरल मेनेजर
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9. New Delhi-110022

06-10-21
(डा. विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आंध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 13-08-2021

Agency Name.	INDRAPRASTHA GAS LIMITED DELHI
Application No.	199121963336
MoEF/SG File No.	P-113/81-2-2021-800(97)/2021
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	IGL BHAWAN, PLOT NO.4, COMMUNITY CENTER,RK PURAM, SECTOR-9, NEW DELHINew Delhi
Amount(in Rs)	610350/-

Amount in Words :Six Lakh Ten Thousand Three Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	15090199121963336 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आंध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 13-08-2021

Agency Name.	INDRAPRASTHA GAS LIMITED DELHI
Application No.	199121963336
MoEF/SG File No.	P-113/81-2-2021-800(97)/2021
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	IGL BHAWAN, PLOT NO.4, COMMUNITY CENTER,RK PURAM, SECTOR-9, NEW DELHI New Delhi
Amount(in Rs)	610350/-

Amount in Words :Six Lakh Ten Thousand Three Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	15090199121963336 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

UTR No= INDBR22021
8260065 4431
Date = 26/08/2021

06-10-21
(डा. विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

20/09/2021
SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9, New Delhi-110022

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/Others/121957/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Others/121957/2021) Laying of 12"&8" dia natural gas pipe line at avarious roads, Khatoli by Pass to Rana Chowk, NH-58 km. chainage 102.050 to 113.440, Suzroo Chowk, to Rana Chowk, PWD raoad km 3.000to 0.000), Charthawal	OTHERS1219572021222	199121957222	16 Jul 2021	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 528657/-, NIL: 0/- NIL: 0/- NIL: 0/- NIL: 0/- Total: 528657/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 11 Aug 2021 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 12 Aug 2021 Transaction Date: 26 Aug 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11082021115234066 4_FPUPOthers1219572021_User_Fund_D Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=OTHERS1219572021222)
2	FP/UP/Others/121963/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Others/121963/2021) laying of 12"dia natuaral gas pipe line at various roads, Shiva Chowk to Thana Bhawan Tiraha Shamli Nh- 709B km chainagae 98.845 To 118.345) total length 19.500 km. total land 0.975ha. in Shamli fores	OTHERS1219632021336	199121963336	14 Jul 2021	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 610350/-, NIL: 0/- NIL: 0/- NIL: 0/- NIL: 0/- Total: 610350/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 13 Aug 2021 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 13 Aug 2021 Transaction Date: 26 Aug 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/130820211259246625_FPUPOthers1219632021_User_Fun Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=OTHERS1219632021336)

06-10-21
(डा. विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

20/09/2021
SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9. New Delhi-110022

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/121963/Others/ 2021 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–पी–113/81–2–2021–800(97)/2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या–10

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चौक शामली से मुजफ्फरनगर तिराहा थानाभवन तक कि0मी0 चैनेंज 98.845 से 118.345 तक कुल लम्बाई–19.500 कि0मी0 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाईप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी परियोजना में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामित्व वाले विभाग की अनापत्ति प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा प्राप्त की जायेगी।

20/09/2021

(सोमिल गर्ग)
एडिशनल जनरल मेनेजर
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9, New Delhi-110022

06-10-21
(डा. विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

संलग्नक—11

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Others/ 121963/2021 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—2 के पत्र संख्या—पी—113/81—2—2021—800(97)/2021 दिनांक—14.07.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या—11

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चोक शामली से थानाभवन तिराहा, (कि0मी0 चैनेंज 98.845 से 118.345) कुल लम्बाई 19.500 में 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की परियोजना में कार्य करने हेतु मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली के पास सक्षम स्तर से प्राप्त वैध व अधिकृत लाईसेंस है, इस हेतु मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली वचनबद्ध है।

20/09/2021
(सोमिल गर्ग)
एडिशनल जनरल मेनेजर
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली
SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9, New Delhi-110022

06-10-21
(डा. विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

संलग्नक—12

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Others/ 121963/2021 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—2 के पत्र संख्या—पी—113/81—2—2021—800(97)/2021 दिनांक—14.07.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या—12

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चोक शामली से थानाभवन तिराहा, (कि0मी0 चैनेंज 98.845 से 118.345) कुल लम्बाई 19.500 में 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की परियोजना में प्रस्तावित कार्य के संबंध में पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा प्रस्तावित स्थल वन्य जीव विहार क्षेत्र से 25 कि0मी0 की दूर अवस्थित होने के कारण स्टेडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफ से अनुमोदन की आवश्यकता नही है, इस हेतु मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली वचनबद्ध है।

20/09/2021

(सोमिल गर्ग)
एडिशनल जनरल मेनेजर
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9, New Delhi-110022

06-10-21
(डा. विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

संलग्नक–13

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/ 121963/2021 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–पी–113/81–2–2021–800(97)/2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या–13

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चोक शामली से थानाभवन तिराहा, (कि0मी0 चैनेंज 98.845 से 118.345) कुल लम्बाई 19.500 में 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की परियोजना में वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारिम्भक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही हो रहे है, इस सम्बन्ध में प्रस्ताव में संलग्न वन अधिकार अधिनियम –2006 का जिलाधिकारी का सरलीकृत प्रमाण पत्र पुनः संलग्न है।
संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

20/09/2021

(सोमिल गर्ग)
एडिशनल जनरल मेनेजर
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9, New Delhi-110022

06-10-21
(डा. विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

संलग्नक संख्या- 23

Form-1

(for Plantations on non Forest land notified as "protected forest" on or after 13th December 1930 and located in villages having no recorded Scheduled Tribe Population as per 2001 and 2011 census)

[Rule 6(3) of forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector
No.1410/14-10......Dated 19-03-2021

TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule6 (3) (e) of the Forest (conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014, Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014, and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that 0.1806 hectares of Forest Land proposed to be diverted in favour of Uttra Pradesh State Bridge Corporations Ltd, Meerut for the purpose of construction of Land over of Bridge and its Approches on along Old SH-57 Road (Delhi - Saharanpur Road) in Km Chainage, 98.845 to 118. 345(Delhi - Saharanpur Road ODR Km.19.5) Village – Shamli City, Maharampur,Sikka, Hind,Hard Fathpur,Mullapur,ThanaBhawan Tehsil – Shamli in the district, Shamli falls within the jurisdiction District Muzaffarnagar, Village Bhaisi in Khatouli Tehsil, having no recorded population of Schedule Tribes per Census of India 2001 and 2011. It is further certified that.

(a) The Protected Forest namely Old SH-57 (New NH-709B) Road (Delhi - Saharanpur Road) in Km Chainage, 98.845 to 118. 345(Delhi - Saharanpur Road ODR Km.19.5) involved in the above village are plantation raised in non-forest land on after 13th December 1930 and were notified as PF vide notification no 115/14-331-50 dated 10.02.1960.

(b) There fore, these PF neither have residing Scheduled Tribes nor have Other Traditional Forest Dwellers (residing in the PF for more than 75 years) having rights recognized under Forest Rights Act,2006

19/03/2021

(Narendra kumar)
Divisional Director
Social Forestry Division
Shamli
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

20/03/21

(Jasjeet Kaur)
District Collector
Shamli

District Social Welfare officer
Shamli
जिला समाज कल्याण अधिकारी
शामली

45

संलग्नक–14

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/ 121963/2021 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–पी–113/81–2–2021–800(97)/2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या–14

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चोक शामली से थानाभवन तिराहा, (कि0मी0 चैनेंज 98.845 से 118.345) कुल लम्बाई 19.500 में 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की परियोजना में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक–11–9/98–एफ0सी0, दिनांक–08.07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव में राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू–संदर्भित डिजिटल डाटा/ मानचित्र संलग्न किये गये है, जिसमें वन सीमाओं को विशेष (shp) फाइल में दर्शाया गया है। इस सम्बन्ध में मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा वचनबद्धता दी जाती है।

20/09/2021

(सोमिल गर्ग)
एडिशनल जनरल मेनेजर
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9. New Delhi-110022

06-10-21
(डा· विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

संलग्नक–15

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/ 121963/2021 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–पी–113/81–2–2021–800(97)/2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या–15

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चोक शामली से थानाभवन तिराहा, (कि0मी0 चैनेंज 98.845 से 118.345) कुल लम्बाई 19.500 में 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की परियोजना में प्रश्नगत भूमि से सेंचुरी / नेशनल पार्क सम्मिलित नही है, इस सम्बन्ध में मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा वचनबद्धता दी जाती है।

20/09/2021
(सोमिल गर्ग)
एडिशनल जनरल मेनेजर
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

06-10-21
(डा. विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9, New Delhi-110022

संलग्नक—16

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Others/ 121963/2021 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—2 के पत्र संख्या—पी—113/81—2—2021—800(97)/2021 दिनांक—14.07.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या—16

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चोक शामली से थानाभवन तिराहा, (कि0मी0 चैनेंज 98.845 से 118.345) कुल लम्बाई 19.500 में 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की परियोजना में मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा समस्त वैधानिक / प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त हीं कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, इस सम्बन्ध में मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा वचनबद्धता दी जाती है।

20/09/2021

(सोमिल गर्ग)
एडिशनल जनरल मेनेजर
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9, New Delhi-110022

06-10-21

(डा0 विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

संलग्नक—17

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Others/ 121963/2021 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—2 के पत्र संख्या—पी—113/81—2—2021—800(97)/2021 दिनांक—14.07.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या—17

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चोक शामली से थानाभवन तिराहा, (कि0मी0 चैनेंज 98.845 से 118.345) कुल लम्बाई 19.500 में 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की परियोजना में 12'' गैस पाईप लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है तथा वन विभाग (कैम्पा फण्ड)के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान कर दिया गया है। भुगतान की कैम्पा फण्ड की पावती संलग्न है।
संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

20/09/2021
(सोमिल गर्ग)
एडिशनल जनरल मेनेजर
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9, New Delhi-110022

06-10-21
(ज. विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आंध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 13-08-2021

Agency Name.	INDRAPRASTHA GAS LIMITED DELHI
Application No.	199121963336
MoEF/SG File No.	P-113/81-2-2021-800(97)/2021
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	IGL BHAWAN, PLOT NO.4, COMMUNITY CENTER,RK PURAM, SECTOR-9, NEW DELHINew Delhi
Amount(in Rs)	610350/-

Amount in Words :Six Lakh Ten Thousand Three Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	15090199121963336 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आंध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 13-08-2021

Agency Name.	INDRAPRASTHA GAS LIMITED DELHI
Application No.	199121963336
MoEF/SG File No.	P-113/81-2-2021-800(97)/2021
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	IGL BHAWAN, PLOT NO.4, COMMUNITY CENTER,RK PURAM, SECTOR-9, NEW DELHI New Delhi
Amount(in Rs)	610350/-

Amount in Words :Six Lakh Ten Thousand Three Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	15090199121963336 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

UTR No= INDBR22021 08260065 44 31
Date = 26/08/2021

06-10-21
(डा. विजय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

20/09/2021
SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9, New Delhi-110022

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/Others/121957/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Others/121957/2021) Laying of 12"&8" dia natural gas pipe line at avarious roads, Khatoli by Pass to Rana Chowk, NH-58 km. chainage 102.050 to 113.440, Suzroo Chowk, to Rana Chowk, PWD raoad km 3.000to 0.000), Charthawal	OTHERS1219572021222	199121957222	16 Jul 2021	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 528657/-, NIL: 0/- NIL: 0/- NIL: 0/- NIL: 0/- Total: 528657/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 11 Aug 2021 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 12 Aug 2021 Transaction Date: 26 Aug 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11082021115234066\4_FPUPOthers1219572021_User_Fund_D Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=OTHERS1219572021222)
2	FP/UP/Others/121963/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Others/121963/2021) laying of 12"dia natuaral gas pipe line at various roads, Shiva Chowk to Thana Bhawan Tiraha Shamli Nh- 709B km chainagae 98.845 To 118.345) total length 19.500 km. total land 0.975ha. in Shamli fores	OTHERS1219632021336	199121963336	14 Jul 2021	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 610350/-, NIL: 0/- NIL: 0/- NIL: 0/- NIL: 0/- Total: 610350/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 13 Aug 2021 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 13 Aug 2021 Transaction Date: 26 Aug 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/130820211259246625_FPUPOthers1219632021_User_Fun Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=OTHERS1219632021336)

06-10-21
(डा. विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

3-1
20/09/2021
SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9, New Delhi-110022

संलग्नक–18

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/ 121963/2021 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–पी–113/81–2–2021–800(97)/2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या–18

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चोक शामली से थानाभवन तिराहा, (कि0मी0 चैनेंज 98.845 से 118.345) कुल लम्बाई 19.500 में 12" डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की परियोजना में ,राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक–07.01.2011(प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं जिसमें प्रस्तावित गैस पाईप लाईन से आच्छादित बिन्दु संख्या–1 के अनुपालन में मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा गाजियाबाद वन प्रभाग में 20 कि0मी0 तीन लाईनों में वृक्षारोपण पूर्व में किया जा चुका है, उक्त किये गये कार्य/ वृक्षारोपण के संबंध में अभिलेखों की छाया प्रति संलग्न है।
संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

20/09/2021
(सोमिल गर्ग)
एडिशनल जनरल मेनेजर
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9. New Delhi-110022

06-10-21
(डा. विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

Phone-0120-2783617
E-mail-dfogzb@gmail.com

(48)

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद

पत्रांक : 695 / 14-1 दिनांक, गाजियाबाद 29 अगस्त, 2017

सेवा में,

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त,
मेरठ।

विषयः जनपद गाजियाबाद में आई0जी0एल0 द्वारा एरा0एच0–57 कि0मी0 16.800 से 25.200 तक बांयी पटरी तथा अपर गंगा कैनाल मील 101 जो कि एन0एच0–58 कि0मी0 34.300 से 34.500 तक के मध्य क्रॉस करती है एवं पूर्वी यमुना नहर कि0मी0 12.520 से 12.560 तक बांयी पटरी में 8" गैस पाइप लाइन डालने हेतु 0.432 हेक्टेयर संरक्षित वन क्षेत्र का गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–पी 8 / 14–2–2017–800(18) / 2017, दिनांक 30.06.2017 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 489 / 14–1 दिनांक 11–8–2017 एवं ऑनलाइन समीशन एण्ड मोनिटरिंग इन्वायमेंटल फारेस्ट एण्ड वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस–ए सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा उठाई गई आपत्ति दिनांक 16–8–2017

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुसार अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार हैः–

Observe No.	Observation of GOI	Reply
1	शर्त सं0–1 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बन्धित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा, का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बन्धित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा, का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
2	शर्त सं0–2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैस पाइप लाइन / मार्गो / सड़कों / वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–किनारे ही बिछाये जायेंगे, का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैस पाइप लाइन / मार्गो / सड़कों / वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–किनारे ही बिछाये जायेंगे, का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
3	शर्त सं0–3 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैस पाइप लाइन हेतु खोदी गई ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मी0 और चौड़ाई 1.00 मी0 से अधिक न होगी, का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैस पाइप लाइन हेतु खोदी गई ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मी0 और चौड़ाई 1.00 मी0 से अधिक न होगी, का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
4	शर्त सं0–4 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
5	शर्त सं0–5 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी, का सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
6	शर्त सं0–6 के अनुसार वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
7	शर्त सं0–7 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली गयी है, का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
8	शर्त सं0–8 के अनुसार भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहे का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

2 — 20/05/2021

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9. New Delhi-110022

9	शर्त सं0–9 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)–202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007– एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0), क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)–202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007– एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु आवश्यक धनराशि रू0 2,70,432/– RTGS No-INDBR22017082400878367, दिनांक 24.08.2017 द्वारा कार्पोरेशन बैंक लि0, नई दिल्ली को जमा की गई (प्रति संलग्न है)। ऑन लाइन सबमिशन एण्ड मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरमेन्टल फॉरेस्ट एण्ड वाईल्ड लाईफ क्लीयरेन्स सिस्टम से उत्पन्न धनराशि जमा होने की पुष्टि संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा करने का निर्देश शासनादेश में नहीं है।
10	शर्त सं0–10 के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि0मी0 3 लाइन में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	शासनादेश सं0–जी0आई0–196/14–2–2010–1017/10, दिनांक 02.07.2010 मोहन नगर चौराहे से महामाया स्टेडियम तक एवं डासना पुलिस चेक पोस्ट तक गैस पाइप लाइन डाले जाने हेतु 0.872 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के बिन्दु सं0–15 के क्रम में तत्कालीन प्रभगीय निदेशक, गाजियाबाद की पत्र सं0–74/22–1, दिनांक 03.07.2010 द्वारा 20 कि0मी0 3 लाइन में वृक्षारोपण हेतु रू0 93,60,000/– के धनराशि की मांग की गई। उक्त धनराशि इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 की पत्र सं0–आई0जी0एल0/ पी0एन0जी0/ स्टील/ फोरेस्ट /1776, दिनांक 07.07.2010 द्वारा डी0डी0 सं0–017022, दिनांक 07.07.2010 से रू0 90,00,000/– एवं डी0डी0 सं0–017024, दिनांक 07.07.2010 से रू0 3,60,000/– की धनराशि इस वन प्रभाग में जमा कराई गई है। उक्त पत्रों की प्रति संलग्न है।
11	शर्त सं0–11 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ति प्राप्त करने की याचक विभाग की वचनबद्धताक का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
12	शर्त सं0–12 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो संलग्न करना होगा।	प्रयोक्त अभिकरण के द्वारा वैध व अधिकृत लाइसेंस तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
13	शर्त सं0–13 के अनुसार भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007, एफ0सी0 (पी0टी0), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र सं0–11013/41/2006–IA–II(I), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने यदि लागू है तो (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजना होगा।	उक्त शर्त लागू नहीं है।
14	शर्त सं0–14 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है का प्रमाण–पत्र संलग्न है।

20/09/2021
SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9, New Delhi-110022

15	शर्त सं0–15 के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–9/98–एफ0सी0, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देश के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–सन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो संलग्न करना होगा।	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–9/98–एफ0सी0, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देश के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–सन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र संलग्न है।
16	शर्त सं0–16 के अनुसार यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चूरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गई है।	प्रश्नगत भूमि सेन्चूरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है।
17	शर्त सं0–17 के अनुसार समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
18	शर्त सं0–18 के अनुसार परियोजना में की भूमिगत एम0डी0पी0ई0 गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)–202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007– एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु आवश्यक धनराशि रू0 2,70,432/– RTGS No–INDBR22017082400878367, दिनांक 24.08.2017 द्वारा कार्पोरेशन बैंक लि0, नई दिल्ली को जमा की गई (प्रति संलग्न है)। ऑन लाइन सबमिशन एण्ड मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरमेन्टल फॉरेस्ट एण्ड वाईल्ड लाईफ क्लीयरेन्स सिस्टम से उत्पन्न धनराशि जमा होने की पुष्टि संलग्न है।
19	शर्त सं0–19 के अनुसार उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा, का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उच्च स्तर को लिखने की कृपा करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

पत्रांक : 695 / 14-1 दिनांकित

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

Recd by Social Forest Ghaziabad 23-08-2017

37 20/09/2021
SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9, New Delhi-110022

संलग्नक–19

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–**FP/UP/ Others/ 121963/2021** के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–पी– 113/81–2–2021–800(97)/ 2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या–19

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चौक शामली से थानाभवन तिराहा, (कि0मी0 चैनेज 98.845 से 118.345) कुल लम्बाई 19.500 में 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंधित परियोजना में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जायेगा। जिसका समय–समय पर अनुश्रवण, वन विभाग के उच्चाधिकारियों से कराने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी वचनबद्ध है।

ह० 20/09/2021
(सोमिल गर्ग)
एडिशनल जनरल मैनेजर
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली।

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9. New Delhi-110022

ह० 06-10-2021
(डा. विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

संलग्नक–20

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ Others/ 121963/2021 के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–पी– 113/81–2–2021–800(97)/ 2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या–20

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चौक शामली से थानाभवन तिराहा, (कि0मी0 चैनेज 98.845 से 118.345) कुल लम्बाई 19.500 में 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाईन डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की परियोजना में मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा लगाये गयी शर्तो के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार/ मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा किया जायेगा, इस हेतु इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा वचनबद्धता दी जाती है।

20/09/2021

(सोमिल गर्ग)
एडिशनल जनरल मैनेजर
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली।

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9, New Delhi-110022

06-10-2021
(डा. विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली